कार्यालय प्रथम अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

रमेश कुमार सुथार पीपली चौक भीनमाल 343029(राज.)	**बनाम**	राज्य लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी) भीनमाल (राज.)
प्रकरण संख्या		**32/2017**

अपील अर्न्तगत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

.....

उपस्थिति:-
प्रार्थी की ओर से कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर कोई नहीं।

आदेश दिनांक:- 25.10.2017

आदेश

दिनांक:- 25.10.2017

1. उक्त अपील अपीलार्थी श्री रमेश कुमार सुथार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी, भीनमाल द्वारा कतिपय सूचनाए प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 द्वारा चाही गई सूचनाएं / आवेदन पर विनिश्चयन प्राप्त नहीं होने पर धारा 19 (1) में प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा इस बात की जानकारी होते हुये भी कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पद धारण करने वाले अधिकारियो को उनके पद नाम से पदेन राज्य लोक सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। इसी क्रम में अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी भीनमाल के नाम से ही प्रस्तुत किया गया है, किन्तु सूचना आवेदन पत्र पर विनिश्चियन विहित समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर प्रस्तुत अपील श्री दौलतराम चौधरी के व्यक्तिगत नाम से प्रस्तुत की गई है जो सही नहीं है। अत: उक्त अपील का उनवान उपर अंकित अनुसार श्री रमेश कुमार सुथार (अपीलार्थी) बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी भीनमाल किया गया है।

2. अपीलार्थी द्वारा धारा 19 (1) के अन्तगत प्रस्तुत अपील में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है:-

2.1. *यह है कि लोक प्राधिकारी (जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर)के द्वारा धारित सूचना को प्रमाणित प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसको आगे इस अधिनियम के नाम से संबंधित किया है।) की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित आवेदन फीस के पेटे दस रूपये का भारतीय पोस्टल आंर्डर संख्या 40 एफ 729800 के साथ संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 को रजिस्टर्ड डाक के जरिये उक्त प्रत्यर्थीगण संख्या 1 के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया गया था।*

2.2. *यह है कि भारतीय डाक विभाग की वेबासाइट https//www.indiapost.gov.in/ पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उक्त आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 उक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 28.07.2017 को प्राप्त हो गया था।*

बिन्दु संख्या 2.1 व 2.2. के क्रम में यह तत्थ्यात्मक विवरण है एवं इसकी पुष्टि में प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017, पोस्टल आर्डर के अधपन्ने एवं रजिस्ट्री रसीद भी प्रस्तुत की गई है। अत: सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

2.3. यह है कि उक्त प्रत्यर्थीगण संख्या 2 (उपखंड अधिकारी भीनमाल)का पत्रांक लो.सू. अ.अधि. /17/3634 दिनांक 16.08.2017 अपीलार्थी (आवेदक) को दिनांक 23.09.2017 को प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी द्वारा स्वंय पत्र प्राप्त होना स्वीकार किया है। तत्थ्यात्मक बिन्दु है। अतः कोई विवेचन अपेक्षित नहीं है।

2.4. यह है कि उक्त पत्रांक 3634 दिनांक 16.08.2017 के प्रसंग में उक्त प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ने उल्लेख किया है कि "आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 व इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 31.07.2017" जबकि भारतीय डाक विभाग की उक्त बेवसाइट के अनुसार उक्त आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 उक्त प्रत्यर्थीगण संख्या 1 को दिनांक 28.07.2017 को प्राप्त हो गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 करीब तीन दिन तक किस अन्य व्यक्ति या अधिकारी के कब्जे में रहा है। उक्त आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 करीब तीन किसके कब्जे में रहा था, उसकी जांच करावे।

सामान्यतः डाक से प्राप्त दस्तावेज प्राप्ति शाखा में लिपिक द्वारा प्राप्त किए जाते है जो संपूर्ण डाक के साथ पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होते है, उनके द्वारा मार्क किया जाकर उसे प्राप्ति पंजिंका में दर्ज किया जाता है। संदर्भ के लिए उक्त पंजिका का क्रमांक एवं दिनांक ही प्राप्ति दिनांक अवधारित किया जाता है। जब तक कि अन्यथा आवश्यक नहीं हो। जब प्रार्थी इतना जागरूक है तो उसे इस बात का भी ज्ञान होना अपेक्षित है कि दिनांक 28.07.2017 को शुक्रवार था एवं उस दिन सांय 4.30 मिनट पर प्राप्ति लिपिक को डिलीवर किया गया पत्र दिनांक 29.07.2017 को शनिवार एवं रविवार को अवकाश होने से शीघ्रतम दिनांक 31.07.2017 को ही पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता, जो इस प्रकरण में किया गया है। सूचना का आवेदक होना प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी का निरीक्षणीय अधिकारी होने का पात्र / अधिकारी संभवतः नहीं बनाता है।

उपखंड अधिकारी जो राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित है, को अपने उपखंड के राजस्व संबंधी प्रकरणो में न्यायालय के अधिकार दिए गए है, जिनके तहत उन्हे राजस्व वादो का निर्धारित मापदंडो अनुसार निर्णय किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उपखंड अधिकारी अपने उपखंड में केन्द्र एवं राज्य सरकार की सौ से अधिक विभिन्न योजनाओ के सफल कियांन्वयन हेतु उतरदायी है, जिनमें उन योजनाओ के प्रचार प्रसार से लेकर आमजनो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रो की स्वीकृति एवं योजना का सही लाभ पात्र व्यक्तियो को पहुंचाने का दायित्व उपखंड अधिकारी का ही होता है। इसी परिपेक्ष्य में उपखंड अधिकारी कुछ योजनाओ में आवेदन प्राप्त कर निर्णय करता है, कुछ में अधीनस्थ अधिकारियो द्वारा आवेदन के निर्णयो के विरूद्ध की गई अपीलो पर निर्णय करता है। इन दोनो रूपो में उसका दायित्व उन आमजनो तक योजनाओ का लाभ पंहुचाने का है जो नियमानुसार पात्र है। यही नहीं उपखंड अधिकारी अपने संपूर्ण उपखंड में कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु भी उतरदायी है। अपने उपखंड में उसे स्थानीय स्तर (पंचायत, नगरीय निकाय) से लेकर लोक सभा तक के चुनाव से संबंधित समस्त कार्य, भू राजस्व एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित अवार्डो की राशि वसूली से संबंधित समस्त कार्य, भू अभिलेख संधारण से संबंधित समस्त कार्य भी संपादित करने होते है। उपखंड अधिकारी अपने उपखंड में विभिन्न केन्द्र व राज्य स्तर के आयोगो द्वारा निर्धारित कर्तव्यो व दायित्वो तथा प्रदत निर्देशो की पालना हेतु भी उतरदायी है।

सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त विशिष्ट आपात परिस्थितियों यथा बाढ, अकाल, भूकंप, महामारी इत्यादि में भी संपूर्ण सजगता व संवेदन शीलता के साथ समस्त विभागो से सामंजस्य कर आम जन को तत्काल राहत पहंचाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का ही है। यही नहीं, सामान्य परिस्थितियो में उपखंड में सार्वजनिक उपयोग की समस्त आवश्यक सेवाओ यथा

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल बिजली,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सेवाएं, पुलिस, पशुपालन विभाग इत्यादि की सेवाओ को सही रूप में एंव सही समय पर आमजन एवं लक्षित समूह तक पहुचाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का ही है। इन्ही समस्त कार्यो के साथ साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत पदीय दायित्वो का निभाने का दायित्व भी उपखंड अधिकारी का है।

इस प्रकरण में ऐसा कोई अत्यन्त आवश्यक या जन धन की तुरंत हानि की आकस्मिकता अथवा बाढ, भूकंप दुर्घटना जैसी आपदा अथवा कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं था, जिसमें सांय 4.23 मिनट पर प्राप्त पत्र को उसी वक्त पीठासीन अधिकारी चाहे वे कार्यालय में हो / अवकाश पर हो अथवा फील्ड में दौरे पर हो। उन्हे ढूंढकर उसके समक्ष पेश किया जावे। अत: प्रार्थी का यह बिन्दु अनवाश्यक ही नहीं अवांछित भी है एवं खारिज किए जाने योग्य है।

2.5. यह है कि उक्त पत्रांक 3634 दिनांक 16.08.2017 में निम्नलिखित विधिक त्रुटिया है:-

2.5.(1)... इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (3) के खंड (क) के अनुसरण में उपखंड अधिकारी भीनमाल ने सूचना शुल्क की मांग की गई है। (see annexure-4, section 7 (3) () और इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील संख्या 462/2007 अनवान श्री महेन्द्रकुमार बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर में श्री एम. डी.कौरानी मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07. 2007)

सूचना अधिकारी द्वारा उक्त पत्र से विधिक प्रावधानों अनुसार प्रतिलिपि शुल्क की मांग की गई है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अत: आपति अस्वीकार योग्य है ।

2.5.(2)..... उक्त पत्रांक 3634 दिनांक 16.08.2017 में बिन्दुवार सूचना शुल्क की मांग नहीं गई है। (see इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील संख्या 460/2012 अनवान डा. यदुनाथ दशानन बनाम लोक सुचना अधिकारी सचिव जयपुर विधुत वितरण नि. लि. जयपुर में श्री टी.श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त,राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2014)

उक्त बिन्दु में प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना शुल्क बिन्दुवार मांग नहीं किए जाने का उल्लेख किया है। मात्र रूपये 12/- के सूचना शुल्क का बिन्दुवार वर्गीकरण किया जाना उपलब्ध संसाधनो का गैर अनुपातिक विचलन होना है । अत: उक्त आपति निरस्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपील में इतना समय एवं श्रम का नियोजन किए जाने की बजाय रूपये 12/- का सूचना शुल्क जमा कर सूचना प्राप्ति किया जाना उचित होता । इससे यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थी की रूचि सूचना प्राप्ति की नहीं होकर लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उच्च अधिकारियो को अपील कर उन पर मानसिक दबाव बनाने की अधिक रही है । इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रार्थी द्वारा अनेको सूचना के आवेदन लोक सूचना अधिकारी के समक्ष किए गये है, एवं बाद में विभिन्न बिन्दुओ पर अपील भी अपीलीय अधिकारियो के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अत: उक्त बिन्दु पर आपति खारिज किए जाने योग्य है।

2.5.(3)... यह है कि उक्त पत्रांक 3634 दिनांक 16.08.2017 में इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अनुसार अपीलाधिकारी की सूचना अंकित नही होने से त्रुटिपूर्ण है। (see इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील संख्या 1038/2015 अनवान श्री प्रकाश शुक्ल बनाम राज्य लोक सूचना

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

अधिकारी उपायुक्त (प्रशासन) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में श्री डा. पी.एलअग्रवाल सूचना आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015, द्वितीय अपील संख्या 6319/2011 अनवान श्री भगवत गोड एडवोकेट बनाम लोक सूचना अधिकारी राज. टयूरिज्म डवलमेट कार्पो. लि. जयपुर में श्री टी.श्री निवासन मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.1.2014)

यद्यपि यह तथ्यात्मक त्रुटि है किन्तु प्रार्थी के प्रकटन में यह आक्षेप अवांछित है क्योकि प्रार्थी को यह भलिभांति ज्ञात है कि उक्त लोक सूचना अधिकारी का अपीलीय अधिकारी कौन है, क्योकि उन्होने स्वंय इस लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनेको अपीले प्रस्तुत कर रखी है, एवं उनकी समय पर सुनवाई हुई भी हो चुकी है । अत: यह तथ्य उन्हे अच्छे से ज्ञात है कि उक्त लोक सूचना अधिकारी का अपीलीय अधिकारी कौन है । अन्य तथ्य बिन्दु संख्या 2.5.(2) अनुसार है। अत: उक्त आपति खारिज किए जाने योग्य है।

2.5.(4). *उक्त पत्रांक 3634 दिनांक 16.08.2017 अपीलार्थी आवेदक को दिनांक 27.08.2017 तक प्राप्त नहीं हुआ है।*

चूंकि पत्र प्राप्ति होना प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। अत: उक्त बिन्दु पर विवकचन अपेक्षित नहीं है।

2.6. *यह है कि उपखंड अधिकारी भीनमाल को उक्त पत्रांक 3634 दिनांक 16.08.2017 (अपीलार्थी को प्राप्ति दिनांक 23.09.2017) से व्यथित होकर इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अनुसरण में यह प्रथम अपील आपके समक्ष विधिवत प्रस्तुत की गई है, जिसको स्वीकार किया जाना न्यायौचित है।* ***इसलिए इस अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) का भलीभांति अध्ययन करे।***

इस संबंध में विनम्र अनुरोध है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का अतिशय ज्ञान होना एक शुभ संकेत है एवं उसका उपयोग वह स्वंय के लिये अथवा आमजन को शिक्षित करने के लिये करे, यही वांछनीय है। पीठासीन अधिकारी को धारा अध्ययन हेतु निर्देशित किया जाना समाचीन प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा अपने तर्क रखते समय मात्र प्रावधानो का उल्लेख करना ही पर्याप्त होता है। अत: इस बिन्दु पर कोई विनिश्चयन इस अपील आदेश में नहीं किया जा रहा है। वैसे भी यह बिन्दु इस तथ्य के आधार पर अंकित किया गया है कि उन्हे उनके आवेदन पर सूचना / विनिश्चयन प्राप्त नहीं हुआ था, जबकि अब स्वंय अपीलार्थी द्वारा ऊपर पैरा 2.3 में अंकित विवरण अनुसार स्वीकार किया गया है कि उन्हे लोक सूचना अधिकारी का उतर दिनांक 23.09.2017 प्राप्त हो चुका है।

2.7... *यह है कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित निर्णयो के अनुसरण में अपीलार्थी उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2017 में चाही गई कतिपय सूचना को नि:शुल्क प्राप्त करने का हकदार है। उपरोक्त वर्णित समस्त निर्णयो की प्रतियां राजस्थान सूचना आयोग की बेवसाइट पर उपलब्ध है।*

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 16.08.217 की पालना में वांछित शुल्क जमा नहीं कराने के कारण प्रदान नहीं की गई है। अत: उक्त आपति खारिज की जाती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर), जालोर

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्याय हित में यदि अब भी प्रार्थी की सूचना प्राप्ति में रूचि हो तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगा गया शुल्क जमा करवा कर इस अपील आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। उक्त आदेश की द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(एल.एन.सोनी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर